फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

प्रवीण बैद वगै0 बनाम भगवती प्रसाद वगै0

मुकदमा . नं0 ....61..../2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29.04.2024	प्रार्थी/प्रार्थीगण के अभि0 श्री राजेश कुमार वर्मा ने अन्तर्गत धारा 251ए राज0 काश्तकारी अधि0 के तहत पेश किया। पत्रावली अवलोकन सहित दर्ज रजिस्टर होकर तलबी डाक रजिस्टर्ड द्वारा अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 14.05.2024 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	14/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थी नोटिस की एक प्रति मय रजि0 डाक रसीद के पेश किया। [illegible] शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट हेतु पत्र लिखा जावे। पत्रावली दिनांक 20/5/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	20/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थी उप0। उप0 तहसीलदार ने रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 27/5/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	भगवती प्रसाद
	27/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0 अप्रार्थी उप0। स्वयं उप0 होकर प्रा0पत्र को स्वीकार करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की। वकील प्रार्थी ने एक प्रा0पत्र बाबत अप्रार्थी नं0 2 का नाम [illegible] करने हेतु	भगवती प्रसाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणगढ़
पुलिस केस नं० बनाम भागवती वगै०
मुकदमा नं० 61/2024

पेश की। मिसल शामिल किया गया। हल्का पटवारी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अतः अप्रार्थी नं० 2 का नाम इन्द्राज किया जाता है। तथा लाल सोहनी से आकर किया गया। रीना अप्रार्थीगण आपस। इनकी बात-चीत आपस लड़ाई रही तथा इन्द्राज किया गया से किता 350 बही। लगा। अप्रार्थी नं० 3 ता 5 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई हल्का पटवारी की ता.रा. धारा 251ए रा.का. आलोच्य पर बहस सुनी गई। एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण का प्र.पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्र.पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज० काश्तकारी अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया। निर्णय शामिल मिसल किया गया।

निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया।

पत्रावली बाद शुमार होकर नम्बर से खारिज हो तथा बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नारायणगढ़

(12)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं0	दायर दिनांक	फैसला दिनांक
61 / 2024	29 / 04 / 2024	27 / 05 / 2024

– उनवान –

1. प्रवीण बैद पुत्र विरेन्द्र सिंह बैद जाति महाजन निवासी 1869, बेद हाउस घी वालों का रास्ता, जौहरी बाजार जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।
2. लोकेश झालाणी पुत्र दामोदर झालाणी जाति महाजन निवासी ए–43 एल0बी0एस0 स्कूल के पास लक्ष्मीनारायणपुरी सूरजपोल जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1 भगवती प्रसाद पुत्र हनुमान सहाय जाति ब्राहमण निवासी राजपुरवासताला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।
2 मौहम्मद एजाज पुत्र मौहम्मद यूनुस जाति मुसलमान निवासी ए–246, संजय नगर झोटवाडा जयपुर जिला जयपुर राजस्थान। (नाम हजफ)
3 रामेश्वर पुत्र हनुमान सहाय जाति ब्राहमण निवासी राजपुरवासताला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।
4 लक्ष्मीमांधना पत्नि राकेश मांधना जाति माहेश्वरी निवासी 1368 ताराचन्द नायक की गली परतानियों का रास्ता जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।
5 ज्योति यादव पत्नि ब्राहाप्रकाश जाति अहीर (यादव) निवासी 189 सेक्टर नं0 2 चित्रकूट अजमेर रोड जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक
श्री राजेश कुमार वर्मा – वकील प्रार्थीगण।

प्रार्थनापत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251–ए राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

–:निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री राजेश कुमार वर्मा के प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि ग्राम राजपुरवासताला तहसील जमवारामगढ मे भूमि खसरा नम्बर 321/9 रकबा 1.5174 है0 खातेदारी की भूमि है। जिसमें आने जाने हेतु खसरा नम्बर 318, 319, 320 मे से 30 फिट चौडा डामर रास्ता स्थित है। जो अप्रार्थीगण की खातेदारी स्थित है। में से चालू डामर रास्ता है जिसमे से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में कई वर्षो से आते जाते है तथा वर्तमान में अप्रार्थीगण की भूमि में डामर रास्ता बना हुआ है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए अन्य कोई और रास्ता मौके पर नही है। प्रार्थीगण पूर्व से उक्त डामर रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। लेकिन कुछ समय से अप्रार्थीगण अपनी भूमि खसरा नं0 318, 319, 320 में से डामर रास्ते से प्रार्थीगण को आने जाने हेतु बाधा उत्पन्न करते है तथा इसके अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी में आने जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नही है। जिससे प्रार्थीगण अपनी भूमि खसरा नम्बर 321/9 में आने जाने में बहुत परेशान हो रहे है तथा अपनी खातेदारी की जुताई बुआई करने के लिए ट्रेक्टर नही ले जा पा रहे है। अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 318, 319, 320 में होकर आने जाने के रास्ते का उपयोग उपभोग करने में दखल बाधा उत्पन्न कर रहे है जिससे प्रार्थीगण को अपनी भूमि

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

खसरा नम्बर 321/9 में आने जाने में काफी परेशानीयों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर कृषि कार्य में काम आने वाले संसाधनों को लाने जाने मे काफी परेशानी होती है। इसलिए प्रार्थीगण काश्तकार को आने जाने के लिये रास्ते की आवश्यकता है। अतः ग्राम राजपुरावास ताला में स्थित भूमि खसरा नम्बर 321/9 की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 318, 319, 320 में से होकर जिसकी चौडाई 30 फिट की आवश्यकता अनुसार संलग्न नजरी नक्शें अनुसार राजस्व रिकार्ड में गै0मु0रास्ता दर्ज किया जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर जरिये रजिस्टर्ड डाक से तलब किया गया। दिनांक 14.05.24 को अप्रार्थी सं0 1 उपस्थित। तहसीलदार जमवारामगढ ने अपने पत्रांकः एलआर/24/2261 दिनांक 20.5.24 द्वारा अपना जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। पैरोकार सरकार (तहसीलदार) ने रिपोर्ट में अवगत कराया कि ग्राम राजपुरावासताला के खसरा नम्बर 321/9 रकबा 1.5174है0 खातेदी में प्रवीण वैद पुत्र विरेन्द्र सिंह वैद 1/2, लोकेश झालाणी पुत्र दामोदर झालाणी 1/2 के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 321/9 में पहुच मार्ग हेतु खसरा नम्बर 318, 319, 320 में से होकर गुजरना पडता है। खसरा नम्बर 318 रकवा 0.1897है0 खसरा नम्बर 319 रकबा 0.3414है0 ज्योति पत्नि ब्रहमप्रकाश यादव वगै0 के नाम दर्ज रिकार्ड है। खातेदारी खसरा नम्बर 321/9 में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 318 में से (16X9.14=146 वर्गमीटर), खसरा नम्बर 319 में से (40X9.14=366 वर्गमीटर) व खसरा नम्बर 320 में से (40X9.14=366 वर्गमीटर) गै0मु0रास्ता हेु प्रस्तावित किया गया है। उक्त रास्ता आगे जाकर 669/658 में मिल जाता है।

वकील प्रार्थी ने दिनांक 27.05.24 को एक प्रार्थना पत्र बाबत अप्रार्थी सं0 2 का नाम हजफ करने हेतु पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया जाकर वकील प्रार्थी की बहस सुनी तथा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 2 का नाम हजफ किया गया। अप्रार्थी सं0 1 ने उक्त रास्ते के संबंध में दिनांक 27.05.24 को उपस्थित होकर सहमति प्रदान की। शेष अप्रार्थीगण सं0 3 लगायत 5 अनु0। इनको बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 3 लगायत 5 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वकील प्रार्थी की मजित बहस सुनी गई।

अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट, पैरोकार सरकार का जवाब/रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने व वकील प्रार्थी की बहस का मनन करने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ़ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम राजपुरवासताला, पटवार हल्का राजपुरवासताला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख0 नं0 321/9 में कृषि कार्य हेतु आने-जाने के लिए संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रास्ता खसरा नम्बर 318 में से (16X9.14=146 वर्गमीटर), खसरा नम्बर 319 में से (40X9.14=366 वर्गमीटर) व खसरा नम्बर 320 में से (40X9.14=366 वर्गमीटर) भूमि को गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक बिला लगानी) के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर अमल करे एवं संलग्न नजरी नक्शे अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम करे, रास्ते की भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 राशि की दोगुना राशि अप्रार्थी सं0 1, 3, 4, 5 को दिलवाई जाने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1, 3, 4, 5 के राजस्व नक्शे मे नजरी नक्शे अनुसार किस्म गै.मु. रास्ता कायम किया जावें। नक्शा दुरूस्त कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें में दर्शित स्थान पर रास्ता कायम करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ को दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 27.05.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ